

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... बनाम
किस्म मुकदमा गु. नं० वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र
7.5.24	<p>अपील दर्ज रजिस्टर हो। क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन आपत्ति को स्वीकार किया गया है। विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण की अपील नहीं होती है रिविजन होती है। सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने के कारण अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमिल दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">..... भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>